

# प्राक्कथन

18 वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक जीन-जैक्यूस रूसो ने कहा था कि “मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और पैदा होते ही सर्वत्र बन्धनों में जकड़ जाता है और ये बन्धन किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद हमारे द्वारा ही बनाये होते हैं।” यदि महान रूसो के इस कथन पर गहराई से सोचें तो समझ में आता है कि मानव समाज को सुचारु रूप से चलाने और नियंत्रित करने के लिये ऐसे बन्धनों की जरूरत भी होती है। इन बन्धनों में दो प्रमुख बन्धन हैं- धार्मिक बन्धन और आर्थिक बन्धन। धर्म के नाम पर जो नियम या बन्धन समाज में लागू किये जाते हैं उनसे मनुष्यों को मानसिक रूप से नियंत्रित किया जाता है जिससे कि वे समाज में शान्ति से जीवन यापन कर सकें तथा दूसरों की स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए एक सद्भावपूर्ण वातावरण में रह सकें। लेकिन समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिये केवल धर्म ही काफी नहीं है, इसके लिये एक और महत्वपूर्ण घटक होता है जिसे अर्थ (धन) के नाम से जाना जाता है। आज के समय में किसी भी देश का उत्थान और पतन उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो इसके लिये सरकारें, नागरिकों पर टैक्स या कर लगाती हैं। बाद में इन्हीं करों से देश की सुरक्षा, समाज कल्याण और मानव कल्याण के कार्य किये जाते हैं।

जब किसी देश या समाज की पुरानी प्रणालियां और परम्परायें टूटतीं हैं तथा उनके स्थान पर किसी नयी प्रणाली का उदय होता है तो लोगों का भ्रामक स्थिति में आना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश में जीएसटी अर्थात् गुड्स और सर्विसेज टैक्स के लागू होने से। जब से हमारा देश आजाद हुआ था, देश की अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली में सुधारों के नाम पर केवल नये-नये टैक्स जोड़े ही जाते रहे थे, कभी VAT, कभी सर्विस टैक्स कभी कोई न कोई सेस। पहले से प्रचलित टैक्स कभी समाप्त ही नहीं किये गये। एक्साइज और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स तथा चुंगी जैसे टैक्स तो सदियों से जारी हैं। लेकिन 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया है और सभी पुराने अप्रत्यक्ष कर (एक्साइज, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स, चुंगी, वैट इत्यादि) समाप्त कर दिये गये हैं। (पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है और इन पर अभी भी एक्साइज तथा वैट लागू है।) अब आपको वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर केवल जीएसटी (जीएसटी के तीन भाग हैं-सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) देना होगा। इससे करदाताओं को अनेक सरकारी तन्त्रों के लिये अलग-अलग तरह की एकाउंटिंग करने से निजात मिलेगी और केवल जीएसटी की रिटर्न ही दाखिल करनी होगी।

इस पुस्तक का निर्माण जीएसटी कर-प्रणाली के सम्बन्ध में पैदा हुई भ्रामक स्थितियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें जीएसटी कर-प्रणाली के बुनियादी सिद्धान्तों से लेकर उसके व्यवहारिक प्रयोग को आम-बोल चाल की भाषा हिंदी में समझाया गया है। पुस्तक की सहायता से आप अपने व्यवसाय को जीएसटी के अनुरूप ढाल सकेंगे और जीएसटी सिस्टम में अपना पंजीकरण कराने से लेकर रिटर्न तक आसानी से दाखिल कर सकेंगे। जीएसटी के सम्बन्ध में करदाताओं के मन में उठ रही शंकाओं को दूर करके स्वयं को इस नये सिस्टम के प्रस्तुत किया गया है जिससे कि करदाता अपने मन में उठ रही शंकाओं को दूर करके स्वयं को इस नये सिस्टम के अनुरूप ढाल सकें। हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास सभी पाठकों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा और वे जीएसटी कर-प्रणाली की जटिलताओं को आसानी से समझकर इस नये सिस्टम को अपना सकेंगे तथा देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

# विषय सूची

1. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) परिचय .....	1-26
2. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के लिये रजिस्ट्रेशन .....	27-42
3. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) पोर्टल परिचय .....	43-52
4. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) कम्पोजीशन स्कीम .....	53-60
5. आपूर्ति: स्थान और समय .....	61-83
6. ई-वे बिल और आईजीएसटी (IGST) .....	84-92
7. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में माइग्रेसन .....	93-118
8. इनपुट क्रेडिट टैक्स (आईटीसी) .....	119-140
9. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में करों का भुगतान .....	141-156
10. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में रिटर्न भरना .....	157-174
11. मूल्यांकन और लेखा परीक्षण .....	175-180
12. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में रिफंड .....	181-185
13. डिमांड, रिकवरी और अपील .....	186-206
14. निरीक्षण, अभियोग और गिरफ्तारी .....	207-222
15. अपराध और दंड अभियोजन .....	223-232
16. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) सामान्य प्रश्नोत्तर .....	233-340
⇒ बुनियादी प्रश्नोत्तर .....	233-235
⇒ जीएसटी में पंजीकरण से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	236-241
⇒ कम्पोजीशन स्कीम से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	242-246
⇒ लेवी से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	247-249
⇒ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	250-252
⇒ ट्रांजीशन से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	253-257
⇒ आयात-निर्यात से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	258-272
⇒ चालान और रिटर्न से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	273-276
⇒ फार्मास्युटिकल (दवा उद्योग) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	277-280
⇒ रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं (FMCG) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	281-288
⇒ ई-कॉमर्स से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	289-294

⇒ खनन और लीज से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	295-304
⇒ जॉब वर्क और करारोपण से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	305-306
⇒ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	307-313
⇒ कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	307-313
⇒ शासकीय सेवाओं से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर .....	314-331
⇒ मिश्रित प्रश्नोत्तर .....	332-340

**परिशिष्ट-अ: हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड..... 341-417**

1. Live Animal, Bovine and Poultry .....	342
2. Meat & Animal Offal of Animals .....	342
3. Fish Meat & Fillets .....	343
4. Eggs, Honey & Milk Products .....	344
5. Non Edible Animal Products .....	344
6. Live Trees and Plants .....	345
7. Edible Grains .....	347
8. Milling Industry Products .....	348
9. Oil Seeds, Fruits and Part of Plants .....	349
10. Gum, Resins, Vegetable SAP & Extracts .....	350
11. Fats, Oils and Waxes their Fractions .....	351
12. Preserved/Prepared Food Items .....	352
13. Sugar, Jaggery, Honey & Bubble Gumes .....	352
14. Chocolate and Cocoa Products .....	353
15. Pizza, Cake, Bread, Pasta & Waffles .....	353
16. Edible-Plants, Fruits, Nuts and Juices .....	354
17. Tea and Cofee Extract & Esence .....	354
18. Water - Mineral & Aerated .....	355
19. Flours, Meals and Pellets .....	356
20. Tobacco, Stemmed & Stripped .....	357
21. Salts and Sands .....	359
22. Mineral Ores and Slags .....	360
23. Fossil Fuels - Coal & Petroleum .....	361
24. Gases and Non-Metals .....	363
25. Hydrocarbons-Cyclic & Acyclic .....	363
26. Drugs and Pharmaceuticals .....	364
27. Fertilisers .....	365
28. Tanning and Colouring Products .....	365
29. Essential Oils, Beauty Products .....	367
30. Soap, Waxes, Polish products .....	368
31. Casein, Albumin, Gelatin, Enzymes .....	368
32. Propeppants, Explosives, Fuses, Fireworks .....	369
33. Photographic and Cinematographic Films .....	369
34. Insecticides, Artificial Carbon & Graphite .....	370
35. Polymers, Polyethylene, Cellulose .....	372
36. Rubber, Plates, Belts and Condensed Milk .....	373
37. Raw hides and Skin Leather .....	374
38. Trunks, Suit-cases, Vanity Cases .....	375
39. Raw Fur Skins, Articles of apparel .....	375
40. Fuel wood, Wood Charcol .....	376
41. Natural Cork, Shuttlecock Cork .....	377

42. Plaiting Materials, Basketwork .....	377
43. Mechanical & Chemical woodpulp .....	377
44. Newsprint, Uncoated paper & paperboard .....	378
45. Printed Books, Brochures, Newspapers .....	379
46. Silkworm, Coccon, Yarn & Waste Woven Fabrics .....	380
47. Wool materials & Waste, Animal Hairs .....	381
48. Cotton materials, Synthetics & Woven fabrics .....	381
49. Flex raw, Vegetable materials & paper yarn .....	381
50. Synthetic felaments, Woven fabrics & Rayons .....	381
51. Synthetic felaments tows & polyster staple fiber .....	382
52. Towels, Napkins, ropes and Netting Materials .....	382
53. Carpets and Floor covering textile Handlooms .....	382
54. Labels, Bades, Woven pile & Chennile, Terry towelings .....	383
55. Rubberised textile fabrics, Convayer belts .....	384
56. Pile, Wrap, Men & Women Clothing .....	384
57. Blankets & Bedsheets .....	385
58. Shoes & Footwear Products .....	385
59. Hats and Accessories .....	385
60. Umbrellas and Accessories .....	386
61. Artificial Flowers, Wigs & False Beards .....	386
62. Monumental & Building Stones .....	386
63. Bricks, Blocks and Ceramics .....	387
64. Glasses, Mirros, Flasks .....	388
65. Pearls, Diamonds, Gold, Platinum .....	389
66. Iron, Alloys, Scrap & Granules .....	390
67. Iron tube & Sheets .....	391
68. Copper, Mattes, Rods, Bars, Wires, Plates .....	393
69. Nickel Mattes & Unwrought Nickel .....	394
70. Unwrought Aluminium -Rods, Sheets & Profiles .....	394
71. Unwrought -Led, Zinc, Tin Rods, Sheets & Profiles .....	395
72. Megnesium, Cobalt, Tungsten Articles .....	395
73. Hand Tools and Cutlery .....	396
74. Lock, Metal mounting & Fittings .....	397
75. Industrial Machinery .....	397
76. Electrical Parts and Electronics .....	403
77. Railway Locomotives and Parts .....	407
78. Tractors and Motor vehicles .....	408
79. Balloons, Parachutes and Airlift Gear .....	409
80. Cruise ships and Boats .....	409
81. Medical, Chemical and Astronomy .....	409
82. Watches and Clocks .....	411
83. Musical instruments .....	413
84. Military Weapons and Firearms .....	414
85. Furniture, Beding and lighing .....	414
86. Children Toys, Table and Board Game & Sports Goods .....	415
87. Pencil, Lighter, Toiletries .....	415
88. Painting, Decoratives Sculptures .....	417
89. Machinery Lab Chemicals .....	417

**परिशिष्ट-ब: सर्विस एकाउंटिंग कोड (SAC) ..... 418-442**

**परिशिष्ट-स: GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) शब्दावली ..... 443-448**